विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा

की

वर्ष 1984–85

की

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

प्रकाशक :
निदेशक, विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़

विषय सूची

क्र. सं.	अध्याय शीर्षक	पृष्ठ संख्या
	समीक्षा (अंग्रेजी तथा हिन्दी)	1—8
1.	शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन	9—11
2.	प्राथमिक शिक्षा	12—18
3.	माध्यमिक शिक्षा	19—25
4.	प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा	26—31
5.	शिक्षा सुधार कार्यक्रम	32—34
6.	छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता	35—37
7.	विविध	38—46

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. D-4497
Date 18/11/87

NIEPA DC
D04499

Review of the Annual Administration report for the year 1984-85 of School Education Department.

For running the work smoothly according to vast set up of Education world there is also office of the Director School Education in addition to Govt. which keeps coordination between Govt. and Distt. offices implements, education polices and inspects the education work. There are offices of Distt. Education officers for running the educational, administrative and inspection of each district for educational, administrative and inspection work of Primary Education there are offices of Block Education Officers.

For the educational administrative work of adult Education and Non-Formal Education there are offices of Adult Education Officers at District level.

During the year 1984-85 the main Education work/polices of the State are as under :—

Primary Education

Education for the children of 6-11 Age is availabe at walkable distance in the State. Free Education is provided to the children of 6-11 age in Govt. Primary Schools. An amount of Rs 15 lakhs was arranged to provide free stationery to the students of scheduled castes/weaker sections of society for more and more entry of children in the schools. An Amount of Rs. 62.21 lacs was arranged for providing free uniform to scheduled castes Girls. Attendance scholarships of Rs. 93.60 lacs was given to scheduled castes girls at the rate of Rs. 10/- for per Girls per month, 1000 Primary Schools were provided with Rs. 300/- per Primary Schools for arrangion the sports and receating material and Tat-Patti of Rs. 27.50 Lacs was bought.

There is no detention of students in first and second classes in the state. The primary school teachers hold monthly meeting in establised school complex. centres for discussing teaching problems. with one another.

109.9% boys and 73.8% girls of all 117.0% boys and 74.0% girls belonging to scheduled castes in the age-group of 6-11 are studying in Primary classes in State.

50 new primary schools were opened and 70 branches primary schools were upgraded to fulfeleged Primary Schools in the year 1984-85.

Secondary Education :

Free education is provided from 6th to 8th classes and scheduled castes girls of 9th to 12th classes in Govt. Schools of the State, special coaching is given to the scheduled castes students of 9th to 11th classes in subject of mathematics, english and science for three month every year so that dull students of scheduled castes can compete other students.

99 Primary Schools were upgraded from primary to middle and 94 schools were upgraded from middle to high in the year 1984-85. Two Schools were granted permanent recognition and one school was taken over by the Government.

The percentage of school going children in the age group of 11-14 is 81.4% boys and 35.6 girls and 34.4% and 13.1% girls in the age group of 14-17. The percentage of school going students belonging to scheduled castes is 62.1% boys and 16.1% girls in the age group of 11-14 and 21.5 boys and 3.4 girls in the age-group of 14-17

Adult Education :

Adult education programmes was started at large scale on 2 October 1978. Earlier 998 centres of Adult Education were running in some district of the State. 4896 Adult Education centres are functioning in 1984-85 in which 46228 men and 108153 Women got literacy.

There is a sharmik vidya peeth in Faridabad for providing education to labourers.

The expenditure on adult education in the year 1984-85 was 146.35 lacs (Provisionally).

Non Formal Education :

There is arrangement of non-formal education in the State for the children of 6-14 age group who could not get school education due to family, economic, social and any other reasons,

3421 centres of non-formal education were functioning in the year 1984-85 in which 37925 boys and 64910 girls received education. Free stationery and text-books were provided to students for encouragement.

During the year 1984-85 Rs. 48.18 lacs were spent on non-formal education :

Qualitet've Improvement

Educational technology cell is established by S.C.E.R.T. in the State for the purpose of qualitetive improvement in education, to lesson the stagnation at school stage, to make primary education more effective and intersting, to give new directions to teaching technique of teachers and necessary teachers training.

Work experience has been made complusory subject for secondary classes. Rs. 3.86 lacs were spent on work experience in 1984-85.

Every year Rs. 90 lacs are provided for the repairment of school buildiugs. Rs. 31.43 lacs were spent by public work deptt. on construction of school building/rooms of Govt. primary/middle/high/higher secondary schools.

Other Programmes :

1. S.C.E.R.T. Organised in service training for 2500 J.B.T. teachers and 950 secondary teachers headmaster and block education officers.

2. The language of this state is Hindi, English is taught as second language from 6th classes and in spite of Punjabi, Sanskrit and Urdu as third language. The facilities of teching of Telgue is also available in 34 schools.

3. An amount of Rs. 22.50 lacs is sanctioned for strengthing the book-banks. 5906 Ten papers at cheep rate was given to approved small industrial units for supplying the cheep note-book.

4. Selected teams from schools of state got 34 medals in schools sports competition.

5. Bharat Scouts and Guide movement is running in the state for creating the borther hood, sense of leadership and sence of serving the human being. Haryana Scouts and Guide Association Organised 15 Camps and 1610 Scouts participated in these camps.

6. Aid of Rs. 585648 was given by National Teachers welfare fund to teachers/teacheress and their dependent in uncongined circumstances.

7. A Haryana Sahitya Academy set up by State Govt· This institution raises the literacy status of the State, encourage literary activities of alllanguages and encourages research in cultural tradition. It sets guidence and policy for the preparation of books in Hindi for university level.

विद्यालय शिक्षा विभाग की वर्ष 1984–85 की प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

शिक्षा जगत की व्यापक व्यवस्था के अनुरूप कार्य संपादन में सुविधा की दृष्टि से इस प्रदेश में सरकार के अतिरिक्त विद्यालय शिक्षा निदेशक का कार्यालय भी हैं, जो सरकार और जिला कार्यालयों के मध्य तालमेल रखता है, शिक्षा नीतियों को लागू करता है तथा शिक्षा कार्य का निरीक्षण करता है। प्रत्येक जिले के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्य संचालन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है। प्राथमिक शिक्षा के शैक्षिक, प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्य के लिए एक-एक खण्ड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है।

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा के शैक्षिक एवं प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए जिला स्तर पर एक-एक जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी कार्यालय है।

वर्ष 1984–85 के दौरान प्रदेश की प्रमुख शिक्षा कार्य/नीतियां निम्नवत हैं :—

प्राथमिक शिक्षा

प्रदेश में 6–11 आयु के बच्चों के लिए शिक्षा गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है। राजकीय प्राथमिक पाठशालाओं में 6–11 आयु के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जाती है। हरिजन जाति/कमजोर वर्ग के बच्चों को अधिक से अधिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए मुफ्त लेखन-सामग्री बच्चों को देने हेतु 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां देने के लिए 62.21 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। हरिजन छात्राओं को 10/- रुपए प्रति छात्र प्रति मास के हिसाब से 93.60 लाख रुपए की उपस्थिति छात्रवृत्ति दी गई। 1000 प्राथमिक पाठशालाओं को 300/– रु. प्रति प्राथमिक पाठशाला की दर से खेल–कूद तथा मनोरंजन की सामग्री जुटाने हेतू दी गई तथा 27.50 लाख रुपये की टाट-पट्टी खरीदी गई।

इस प्रदेश में पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल नहीं किया जाता है। अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार-विमर्श के लिए स्थापित शाला संगम केन्द्रों में प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक मासिक बैठक करते हैं।

प्रदेश में 6–11 आयु के 109.9 प्रतिशत लड़के तथा 73.6 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते हैं और अनुसूचित जातियों के 117.0 प्रतिशत लड़के तथा 74.0 प्रतिशत लड़कियां प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं।

वर्ष 1984–85 के दौरान प्रदेश में 50 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए और 70 ब्रांच प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण प्राथमिक स्कूल किया गया।

माध्यमिक शिक्षा

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छठी से आठवीं कक्षा तक निशुल्क शिक्षा दी जाती है तथा हरिजन छात्रों को 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास की विशेष कोचिंग दी जाती है ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों को कम्पीट कर सकें।

वर्ष 1984-85 के दौरान 99 प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 94 माध्यमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। दो विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई तथा एक विद्यालय को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया।

वर्ष 1984-85 के दौरान 11-14 आयु के 81.4 प्रतिशत लड़के तथा 35.6 प्रतिशत लड़कियां और 14–17 आयु के 34.4 प्रतिशत लड़के तथा 13.1 प्रतिशत लड़कियां विद्यालयों में पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के 11–14 आयु के 62.4 प्रतिशत लड़के तथा 16.1 प्रतिशत लड़कियां और 14-17 आयु के 21.5 प्रतिशत लड़के और 3.4 प्रतिशत लड़कियां विद्यालयों में पढ़ते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इससे पहले प्रौढ़ शिक्षा के 998 केन्द्र राज्य के कुछ जिलों में चल

रहे थे । वर्ष 1984-85 में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 4896 है जिन में 46228 पुरुषों तथा 108153 महिलाओं ने साक्षरता प्राप्त की ।

औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देने के लिए फरीदाबाद में श्रमिक विद्यापी है।

वर्ष 1984-85 में प्रौढ़ शिक्षा पर 146.35 लाख रुपए (प्रोविजनल) व्यय किया गया ।

2. अनौपचारिक शिक्षा

राज्य में 6–14 आयु के उन बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने की व्यवस्था है जो परिवारिक, आर्थिक, सामाजिक अथवा अन्य किसी कारण से विद्यालय शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके । वर्ष 1984–85 में अनौपचारिक शिक्षा के 3421 केन्द्र कार्यरत थे जिनमें 37925 लड़के तथा 64910 लड़कियों ने शिक्षा प्राप्त की । छात्रों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री दी गई ।

वर्ष 1984-85 में अनौपचारिक शिक्षा पर 48.18 लाख रुपए व्यय किय गये ।

गुणात्मक सुधार

शिक्षा के गुणात्मक सुधार करने, विद्यालय स्तर पर गतिरोध को कम करने, प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों की शिक्षण विधियों को नई दिशा देने तथा आवश्यक शिक्षक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में शैक्षिक तकनीकी अनुभाग की स्थापना की हुई हैं।

कार्य अनुभव सभी माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया गया है। वर्ष 1984–85 में कार्य अनुभव पर 3.86 लाख रुपए खर्च हुए । विद्यालयों के भवनों की मुरम्मत के लिए 90 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं।

राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों/ कमरों इत्यादि के निर्माण पर 31.43 लाख रुपए की राशि लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्च की गई ।

अन्य कार्यक्रम

1. 25 जे.बी.टी. अध्यापकों तथा 950 सैकण्डरी अध्यापकों, मुख्याध्यापकों और खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

2. इस राज्य की भाषा हिन्दी है। अंग्रेजी दूसरी भाषा के रूप में छटी कक्षा से आरम्भ की जाती है तथा तीसरी भाषा के रूप में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दू के अतिरिक्त तेलग की शिक्षा की सुविधा भी 34 विद्यालयों में उपलब्ध है।

3, बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 22.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सस्ती अभ्यास पुस्तिकाएं, पाठय पुस्तिकाएं आदि उपलब्ध करने के लिए अनुमोदित लघु औद्योगिक इकाईयों को 5906 टन कागज सस्ते मूल्य पर उपलब्ध किया गया।

4. राज्य के विद्यालयों की चुनी टीमों ने राष्ट्रीय विधालय खेल प्रतियोगिताओं में 34 पदक प्राप्त किये।

5. भ्रातृ-प्रेम, नेतृत्व की भावना और जनजाति की सेवाभाव उत्पन्न करने के लिए राज्य में भारत स्काऊटस एवं गाईडज आन्दोलन चलाया जा रहा है। हरियाणा स्काऊटस एवं गाईडज एसोसिएशन द्वारा राज्य में 15 शिविर लगाये गये जिसमें 1610 स्काऊटस एवं गाईडज ने भाग लिया।

6. राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा विपदाग्रस्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को 58564 रुपए की सहायता दी गई।

7. राज्य सरकार द्वारा एक हरियाणा साहित्य अकादमी का भी गठन किया हुआ है। यह संस्था राज्य में साहित्य स्तर को उन्नत करती है। सभी भाषाओं की साहित्यक गतिविधियों को प्रोत्साहित और सांस्कृतिक परम्पराओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के लिए मार्ग दर्शन और नीति निर्धारण करती है।

अध्याय पहला

शिक्षा विभाग का प्रशासन एवं संगठन

(1) वर्ष 1984–85 में श्री जगदीश नेहरा, राज्य शिक्षा मन्त्री के पद पर रहे ।

(क) सचिवालय स्तर पर

रिपोर्टाधीन वर्ष में शिक्षायुक्त एवं सचिव के पद पर श्री एल. एम. जैन, आई.ए.एस. रहे। संयुक्त सचिव के पद पर श्री एस.एल. धनी, आई.ए.एस. ने और उप सचिव के पद पर श्री सुखबीर सिंह एच. सी. एस. ने कार्य किया ।

(ख) निदेशालय स्तर पर

वर्ष 1984–85 में निदेशक, विद्यालय शिक्षा, के पद पर श्री प्रेम प्रशान्त आई0ए0एस0 ने कार्य किया । निदेशालय स्तर पर निम्न पदों पर अन्य नियुक्त अधिकारियों ने कार्य को सुचारु रूप से चलाने में निदेशक महोदय को सहयोग दिया :—

पदों का नाम	अधिकारियों की संख्या
निदेशक, एस.आर. सी.	1
संयुक्त निदेशक	2
उप निदेशक	5
अध्यक्ष अनौपचारिक शिक्षा	1
सहायक निदेशक	9
लेखा अधिकारी	1
रजिस्ट्रार शिक्षा	1
सहायक रजिस्ट्रार शिक्षा	1
बजट अधिकारी	1
युवक एवं खेल अधिकारी	1

1.2 जिला प्रशासन

राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल शिक्षा का बिकास, प्रशासन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व जिला शिक्षा अधिकारियों पर है । जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में शिक्षा के विकास तथा राज्य की शिक्षा नीतियों को कार्यरूप देते हैं । जिलों में शिक्षा विकास कार्य को भली भांति चलाने के लिए सभी उप मण्डलों में उप मण्डल शिक्षा अधिकारी हैं । उप मण्डल शिक्षा अधिकारी अपने उप मण्डल में शिक्षा के विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं ।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए एक-एक उप जिला शिक्षा अधिकारी, एक-एक विज्ञान परामर्शदाता तथा एक-एक सहायक शिक्षा अधिकारी (खेल कूद) भी नियुक्त हैं ।

इसी तरह राज्य के प्रत्येक जिले में प्रौढ़ शिक्षा के बिकास, प्रशासन और नियंत्रण के लिए जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी नियुक्त हैं । परियोजना अधिकारी एवं सहायक परियोजना अधिकारी इस कार्य में उनकी सहायता करते हैं ।

1.3 खण्ड स्तर पर

राज्य में सभी प्राथमिक विद्यालयों को निरीक्षण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए 119 शिक्षा खण्डों में बांटा गया है । खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने-अपने खण्ड में स्थित प्राथमिक शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक विद्यालयों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदारी हैं ।

1.4 राजकीय विद्यालय

सभी राजकीय उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का प्रशासनिक प्रबन्ध मुख्याध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के माध्यम से चलाया जाता हैं । सभी मुख्याध्यापक तथा प्रधानाचार्य अपने-अपने स्कूलों में विद्यार्थियों को सुचारू रूप से शिक्षा देने तथा उनके शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जिला शिक्षा अधिकारी विभाग के प्रति उत्तरदायी हैं ।

1.5 अराजकीय विद्यालय

अराजकीय विद्यालयों का प्रशासन उनकी अपनी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाया जाता है। शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार ही इन विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। ये विद्यालय शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करते हैं। शिक्षा विभाग उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए वार्षिक अनुदान देता है। इन विद्यालयों का निरीक्षण भी शिक्षा विभाग के अधिकारी ही करते हैं।

1.6 शिक्षा पर व्यय

शिक्षा विभाग का वर्ष 1984-85 का बजट (संशोधित) अनुमान अनुसार इस प्रकार था :—

(क) प्रत्यक्ष व्यय

मद	योजनेत्तर	योजना	कुल (राशि लाख रु0 में)
माध्यमिक शिक्षा	4525.75	626.29	5152.04
प्राथमिक शिक्षा	3994.21	1123.03	5117.24
विशेष शिक्षा (स्पेशल)	49.00	103.82	152.82
विविध	48.75	57.84	106.59
जोड़	8617.71	1910.98	10528.69

(ख) परोक्ष व्यय

1. निर्देशन मुख्यालय	89.25	9.00	98.25
2. इन्सपैक्शन	237.91	13.30	251.21
जोड़	327.16	22.30	349.46
जोड़ प्रत्यक्ष तथा परोक्षा व्यय	8944.87	1933.28	10878.15

अध्याय दूसरा

"प्राथमिक शिक्षा"

2.1 प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा है। अतः इसे देश के प्रत्येक बच्चे को उपलब्ध कराने के लिये इसका विस्तार तथा विकास अत्यावश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये हरियाणा राज्य में इसके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस समय हरियाणा राज्य में प्राथमिक शिक्षा सुविधा, राज्य की शिक्षा नीति अनुसार 6–11 आयु वर्ग के बच्चों के लिये गमन योग्य दूरी पर उपलब्ध है।

2.2 हरियाणा में वर्ष 1983–84 और 1984-85 में पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियों तथा प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	1983–84		1984–85	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	27	—	27	—
प्राथमिक पाठशालाएं	4544	350	4517	411

वर्ष 1984–85 में 50 नए प्राथमिक स्कूल खोले गए और 70 ब्रांच प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर पूर्ण प्राथमिक स्कूल किया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्राथमिक स्कूलों की संख्या 5384 थी और अब 4928 है। इस कमी का कारण यह है कि छठी योजना के दौरान काफी संख्या में प्राथमिक स्कूलों का दर्जा बढ़ाकर माध्यमिक किया गया है।

2.3 छात्र संख्या

	1983–84		1984–85	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	984	606	835	506
प्राथमिक पाठशालाएं	376765	251139	376742	275992
(2) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक बालवाड़ियां	1382	976	2043	1376
प्राथमिक स्तर	913486	550638	934930	591546

(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या

	1983–84		1984–85	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(1) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक बालवाड़ियां	86	107	163	93
प्राथमिक पाटशालाएं	84121	59484	84788	61712
(2) स्तर अनुसार				
ूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	167	88	166	94
ाथमिक स्तर	183764	106231	189176	113235

प्राथमिक स्तर की छात्रसंख्या के लिए वर्ष 1984-85 के योजनाधीन निर्धारित लक्ष्यों एवं उनकी पूर्ति :

कुल छात्र संख्या (लाखों में)

	लक्ष्य			लक्ष्यों की पूर्ति		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
छात्रसंख्या (लाखों में)	9.05	6.05	15.10	9.35	5.91	15.26
प्रतिशत (6—11) आयु वर्ग में)	106.6	75.5	91.4	109.9	73.8	92.4

अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या

छात्र सख्या (लाखों में)	1.90	1.13	3.03	1.89	1.13	3.02
प्रतिशत (6—11) आयु वर्ग में)	118.00	74.3	96.8	117.0	74.4	96.3

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में 6—11 आयु वर्ष के स्कूल में जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता (92.3) लड़के तथा (49.5) लड़कियां थी और अब यह प्रतिशतता (109.9) लड़के तथा (73.8) लड़कियां हो गई है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में (79.4) लड़के और (26.5) लड़कियां थीं। जबकि अब यह प्रतिशतता (117.0) लड़के तथा (74.4) लड़कियां हैं।

2.4 कुल अध्यापकों की संख्या

1. कुल अध्यापकों की संख्या

	1983—84		1984—85	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
(क) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	7	33	9	25
प्राथमिक स्कूल	9456	4640	9323	5278
(ख) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	7	53	10	65
प्राथमिक स्तर	19928	12172	19898	13524

(2) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या

	1983-84		1984-85	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
(क) स्कूल अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	2	—	2	—
प्राथमिक स्कूल	632	77	695	83
(ख) स्तर अनुसार				
पूर्व प्राथमिक/बालवाड़ियां	—	—	—	2
प्राथमिक स्तर	1163	148	1318	217

2.5 बालवाड़ियों की स्थापना

राज्य में 7 पूर्व प्राथमिक विद्यालय और 20 बालवाड़ियां चल रही हैं, जो समाज के पिछड़े एवं औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखरेख एवं उनके लिए शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करती हैं। वर्ष 1984-85 में भी इन पूर्व प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों को जारी रखने की व्यवस्था की गई है।

2.6 इस समय हरियाणा में सभी राजकीय विद्यालयों में पहली से आठवीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। (6–11) वर्ष तक की आयु के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल में लाने के लिए प्रतिवर्ष अप्रैल मास में छात्र संख्या अभियान चलाया जाता है। वर्ष 1984–85 में इसके प्रचार/प्रसार पर 1.39 लाख रुपये खर्च किये गये। इस अभियान के फलस्वरूप वर्ष 1984-85 में 6–11 वर्ष की आयु वर्ग के 15.10 लाख बच्चों के प्रवेश के लक्ष्य के स्थान पर 15.26 लाख बच्चे दाखिल हुए। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे

हरिजन जाति/कमजोर वर्ग के बच्चों को लेखन सामग्री आदि के क्रय हेतु 10/- रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है और छठीं से 11वीं कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन/कमजोर वर्ग की लड़कियों को 20/- रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्रा की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके लिए वर्ष 1984-85 में 15 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 में हरिजन छात्राओं को मुफ्त वर्दियां प्रदान करने के लिए 62.21 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाली हरिजन छात्राओं को 10/- रु० प्रति छात्रा प्रति मास के हिसाब से उपस्थिति छात्रवृत्ति देने के लिए 93.60 लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

2.7 वर्ष 1984-85 में राज्य के 1000 प्राथमिक स्कूलों में 300/- रुपये प्रति प्राथमिक स्कूल की दर से 3.00 लाख रुपये की राशि खेलकूद तथा मनोरंजन की सामग्री जुटाने एवं इन स्कूलों के खेलों के मैदान के विकास के लिये दी गई।

हरियाणा राज्य के सभी राजकीय प्राथमिक स्कूलों में छात्रों के बैठने के लिए टाट-पट्टी का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1984-85 में सरकार ने टाट-पट्टी हेतु 27.50 लाख रुपये खर्च किए।

2.8 शाला संगम केन्द्र

स्थापित किये गये शाला संगम केन्द्रों में आयोजित मासिक बैठकों में प्राथमिक अध्यापकों की व्यवसायिक कुशलता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इन मासिक बैठकों में अध्यापक कक्षा सम्बन्धी अध्यापन समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श करते हैं। इन बैठकों में खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप-मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी समय-2 पर भाग लेते हैं।

एस० सी० ई० आर० टी० के प्रकाशन विभाग द्वारा प्राथमिक अध्यापक नामक मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक विकास के

लिए पत्राचार कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाता है। यह पत्रिका राज्य के प्राथमिक अध्यापकों को निःशुल्क उपलब्ध की जाती है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रति मास संगम बैठकों में इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री पर विचार विमर्श करते हैं, जिससे बच्चों को रोचक तथा सुगम ढंग से शिक्षा देने का ज्ञान प्राप्त होता है ।

जो प्राथमिक स्कूल शाखा संगम योजना के अन्तर्गत शाखा संगम केन्द्रों के रूप में शामिल किए गए हैं उनमें विज्ञान किट्स भी उपलब्ध करवाई गई हैं । वर्ष 1984-85 में इस परियोजना के लिए 3,06,500 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। यह परियोजना राज्य के 850 स्कूलों में चलाई जाती है।

2.9 कक्षा शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली में सुधार

सामान्यता ऐसा होता है कि एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में तीव्र होते हैं तथा कुछ मन्द होते हैं। अतः विभाग ने यह अनुमति दी है कि यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो कक्षा के अलग-2 सैक्शन बना दिये जायें तथा इन सैक्शनों को इस तरह बनाया जाये कि तीव्र बुद्धि के बच्चे एक सैक्शन में तथा मन्द बुद्धि वाले बच्चे दूसरे सैक्शन में आ जायें और जिस शिक्षक के पास मन्द बुद्धि वाले बच्चे हों उनके परिणाम को देखते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि वह कमजोर सैक्शन को पढ़ा रहा था।

पहली से चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यह परीक्षा नीति अपनाई गई है कि पहली तथा दूसरी कक्षा में कोई बच्चा फेल न किया जाये तथा तीसरी तथा चौथी की कक्षाओं में परीक्षा के परिणाम अनुसार कार्यवाही की जाये।

2.10 स्कूल केयर फीडिंग प्रोग्राम

मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम हरियाणा में केयर की सहायता से 117 खण्डों में चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी स्कूलों के छात्र/छात्राओं में मध्यान्ह भोजन देने की व्यवस्था है। यह

खाद्य सामग्री सी0 ए0 आर0 ई0 की सहायता से मुफ्त प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे को 80 ग्राम दलिया तथा 7 ग्राम सलाद आयल दिया जाता है। वर्ष 1984-85 में 2.82 लाख बच्चों को पंजीरी आदि वितरीत की गई। इस कार्य के लिए घरौण्डा में एक केन्द्रीय किचन स्थापित है। जिसमें एक लाख बच्चों के लिए प्रतिदिन पंजीरी तैयार करके स्कूलों में बांटने के लिए भेजी जाती है। वर्ष 1984-85 में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 39 लाख रुपये का प्रावधान था जबकि वर्ष 1983-84 में इस कार्यक्रम पर 34.82 लाख रुपये खर्च किए गए।

तीसरा अध्याय

माध्यमिक शिक्षा

3.1 आज केआधुनिक युग में माध्यमिक शिक्षा का भी प्राथमिक शिक्षा से कम महत्व नहीं है। इसलिए राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विकास एवं विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

3.2 रिपोर्टाधीन अवधि में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार थी :–

	1983–84		1984–85	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
माध्यमिक पाठशालाएं	966	111	994	111
उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं	1446	282	1497	304

वर्ष 1984–85 में 99 प्राथमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर माध्यमिक किया गया तथा 94 माध्यमिक विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उच्च किया गया। इस अवधि में दो विद्यालयों को स्थाई मान्यता प्रदान की गई तथा एक स्कूल को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में माध्यमिक पाठशालाएं 801 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाएं 1201 थीं परन्तु अब माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1105 तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की संख्या 1801 है।

3.3 छात्र संख्या

	1983–84		1984–85	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
(क) कुल छात्र संख्या				
(1) स्कूल अनुसार				
माध्यमिक स्कूल	247259	134780	248843	140507
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	839128	373169	887268	399149
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर (6–8वीं)	386486	154834	399900	162389
उच्च/उच्चतर माध्यमिक (नौवी से 11वीं)	162724	53208	176716	60741
(ख) अनुसूचित जातियों के छात्रों की संख्या				
(1) स्कूल अनुसार				
माध्यमिक स्कूल	43986	21981	45220	23388
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	131091	40592	138491	44766
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर (6–8वीं)	55315	13305	58346	13690
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल (9–11वीं)	20127	2536	20951	2937

कक्षा छठीं से आठवीं तथा कक्षा नौवीं से ग्यारहवीं की छात्रसंख्या के लिए वर्ष 1984–85 के योजनाधीन निर्धारित लक्ष्य एवं उसकी पूर्ति :—

कुल छात्र संख्या (लाखों में)

	लक्ष्य			लक्ष्यों की पूर्ति		
	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
छात्रसंख्या (6वीं से 8वीं)	4.10	1.80	5.90	4.00	1.62	5.62
छात्रसंख्या (9वीं से 11वीं)	1.84	0.53	2.37	1.76	0.61	2.37
प्रतिशतता						
11–14 आयु के छात्रों की प्रतिशतता	83.5	39.4	62.3	81.4	35.6	59.4
14–17 आयु के छात्रों की प्रतिशतता	35.9	11.5	24.3	34.4	13.1	24.3
अनुसूचित जातियों की छात्र संख्या						
छात्रसंख्या (छटीं से आठवीं)	0.60	0.15	0.75	0.58	0.14	0.72
11–14 आयु के छात्रों की प्रतिशतता	64.5	17.2	41.7	62.4	16.1	40.0

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में 11–14 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले छात्रों की प्रतिशतता 63.1 लड़के तथा 23.8 लड़कियां थीं परन्तु अब 81.4 लड़के तथा 35.6 लड़कियां हैं। इसी प्रकार 14–17 आयु वर्ग के छात्रों की प्रतिशतता पांचवीं योजना के अन्त में 21.6 लड़के तथा 7.9 लड़कियां थीं और

अब 33.4 लड़के तथा 13.1 लड़कियां हैं। अनुसूचित जातियों के छात्रों की प्रतिशतता संख्या पांचवीं योजना के अन्त तक में 38.28 लड़के तथा 5.32 लड़कियां 11–14 आयु वर्ग की तथा 10.5 लड़के और 1.01 लड़कियां 14–17 आयु वर्ग में थी। परन्तु अनुसूचित जातियों की यह प्रतिशतता अब 11–14 आयु वर्ग में 62.4 लड़के और 16.1 लड़कियां तथा 15–17 आयु वर्ग में 21.5 लड़के और 3.4 लड़कियां हो गई है।

3.4 अध्यापकों की संख्या

(क) अध्यापकों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) स्कूल अनुसार	1983–84		1984–85	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
माध्यमिक स्कूल	6880	3689	6977	4109
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	24444	12864	25250	14004
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर	11841	5665	12378	6217
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	8996	3333	9263	3610

(1) अनुसूचित जातियों के अध्यापकों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(1) स्कूल अनुसार				
माध्यमिक स्कूल	397	72	418	93
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूल	719	96	817	155
(2) स्तर अनुसार				
माध्यमिक स्तर	307	56	367	73
उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर	278	41	247	39

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 9946 पुरुष तथा 3687 महिलाएं थीं तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 7542 पुरुष तथा 2395 महिलाएं थीं परन्तु अब अध्यापकों की संख्या माध्यमिक स्तर पर 12378 पुरुष तथा 6217 महिलाएं तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 9263 पुरुष तथा 3610 महिलाएं हैं ।

3.5 दोहरी पारी प्रणाली

विभिन्न विद्यालयों के जिन भवनों में छात्र संख्या की वृद्धि के कारण बच्चों के बैठने के कमरों की कमी हो जाती है, उन विद्यालयों में दोहरी पारी प्रणाली अपनाने की स्वीकृति देने में जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं सक्षम है ।

3.6 सह शिक्षा

ऐसे क्षेत्र तथा गांव जिन में लड़कियों के लिये माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहां लड़कों के विद्यालयों में ही लड़कियों को प्रवेश प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध की गई है ।

3.7 तेलगु भाषा की शिक्षा

हरियाणा में सातवीं कक्षा से तेलगु भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है । इस भाषा की शिक्षा की सुविधा राज्य के 34 विद्यालयों में उपलब्ध है। इस भाषा को पढ़ाने वाले अध्यापकों को दो विशेष वेतन वृद्धियों के बराबर राशि भत्ते के रूप में दी जाती है। इस भाषा को पढ़ने वाले छात्रों को कक्षा के प्रथम 3 छात्रों को 10/- रुपये प्रतिछात्र प्रतिमास की दर से छात्रवृति भी दी जाती है ।

3.8 शिक्षा पद्यति 10+2+3 को लागू करना

इस नई शिक्षा प्रणाली के प्रयोगात्मक उद्देश्य से 24 विद्यालयों में व्यवसायिक कक्षायें आरम्भ की गई हैं । यदि यह प्रणाली सफल रही तो राज्य के और विद्यालयों में भी आरम्भ की जायेगी ।

3.9 विशेष कोचिंग कक्षाएं

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं में पढ़ रहे हरिजन जाति के बच्चों को गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान विषयों में प्रति वर्ष तीन मास के लिये विशेष कोचिंग दी जाती हैं, ताकि अनुसूचित जाति के कमजोर बच्चे अन्य छात्रों को कम्पीट कर सकें । वर्ष 1984-85 में इस स्कीमाधीन 2 लाख रुपये की व्यवस्था रही। अध्यापकों को पारिश्रमिक 150 रुपये से 200 रुपये तक मासिक दर से दिया जाता है। ये कक्षाएं आरम्भ करने के लिये प्रत्येक विषय में कम से कम 10 या इससे अधिक छात्र संख्या निर्धारित है ।

3.10 परीक्षा परिणाम

आठवीं, दसवीं तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ रहे छात्रों की परीक्षाओं के लिए राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की हुई है। वर्ष मार्च 1985 में हुई परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम निम्न प्रकार रहा :—

	नियमित		प्राइवेट	
	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण हुए	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण हुए
आठवीं	157509	90047	25556	10027
दसवीं	103724	72445	26556	8286
ग्यारहवीं	7504	4037	यह परिणाम नियमित विद्यार्थियों के परिणाम में सम्मिलित हैं।	

3.11 अराजकीय विद्यालयों को अनुदान

वर्ष 1984-85 में अराजकीय विद्यालयों को निम्न अनुदान दिए गए हैं :—

(क) अनुरक्षण अनुदान

अराजकीय विद्यालयों को उनके घाटे की 75 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। अनुरक्षण अनुदान देने हेतु इस वर्ष के बजट में 116 लाख

रुपये की व्यवस्था की गई थी। इसमें से अराजकीय मान्यता प्राप्त प्राईमरी/मिडल विद्यालयों की 25.88 लाख रुपये की राशि तथा उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 73.79 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(ख) विशेष अनुदान

भिन्न-2 मात्रा में 17 विद्यालयों को 11.93 लाख रुपये की राशि विशेष अनुदान के रूप में वितरित की गई।

(ग) संस्कृत विद्यालयों/पाठशालाओं को अनुदान

संस्कृत भाषा के उत्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा 1.34 लाख रुपये का अनुदान 24 संस्कृत विद्यालयों/पाठशालाओं को दिया गया। राज्य की 23 संस्कृत महाविद्यालयों/पाठशालाओं को 9.35 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई।

(घ) उपस्कर अनुदान

उपस्कर अनुदान के अन्तर्गत 5000 रुपये की राशि राज्य में 10 अराजकीय स्कूलों को स्वीकृत की गई।

(ङ) विशेष संस्थाओं को अनुदान

विशेष संस्थायें जैसे साकेत चण्डीमंदिर, डैफ चिल्ड्रन गुड़गांवा तथा स्टेट कौंसल फार चाईल्ड वैलफेयर को क्रमश: 68000, 90000 तथा 142560 रुपये की राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई।

(च) कोठारी अनुदान

वर्ष 1984-85 में इस मद के अन्तर्गत अनुदान के लिए 180 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई। इसमें उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 134 लाख रुपये तथा प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को 46 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

———

अध्याय चौथा

"प्रौढ़ शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा"

4.1 प्रौढ़ शिक्षा

हरियाणा राज्य मे प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1978 से बड़े पैमाने पर आरम्भ किया गया। इससे पहले भी प्रौढ़ शिक्षा एवं समाज शिक्षा का कार्यक्रम राज्य के कुछ जिलों में चलाया जा रहा था, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 998 थी। परन्तु रिपोर्टाधीन वर्ष में कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	पुरुष	महिला	जोड़
1983-84	1493	2516	4009
1984-85	1411	3485	4896

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 1685 थी जो अब बढ़कर 4896 हो गई है।

4.2 साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रौढ़ों की संख्या

(क) रिपोर्टाधीन वर्ष में लाभान्वित प्रौढ़ों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	पुरुष	महिला	जोड़
1983-84	42458	71951	114409
1984-85	46228	108153	154381

वर्ष 1984-85 में 1.50 लाख प्रौढ़ों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था जिसके सम्मुख 1.54 लाख प्रौढ़ों को लाभ पहुंचाया गया।

(ख) अनुसूचित जातियों के लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या

वर्ष	पुरुष	महिला	जोड़
1983-84	11777	28104	39881
1984-85	12203	28997	1200

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या

वर्ष	पुरुष	महिला	जोड़
1983-84	41511	63318	104829
1984-85	44999	98132	143131

पांचवीं पंच वर्षीय योजना के अन्त में (अर्थात् वर्ष 1978-70 में) लाभान्वित प्रौढ़ों की संख्या 57637 थी जो अब बढ़कर 154381 हो गई है।

4.3 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1984-85 में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए व्यय (प्रोवीजनल) निम्न प्रकार था :—

(रुपये लाखों में)

	1983-84	1984-85
1. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	66.99	85.40
2. राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम	31.29	60.95

4.4 शिक्षार्थियों की परीक्षा

वर्ष 1984-85 में 154381 प्रौढ़ों को दाखिल किया गया जिनको पढ़ने-लिखने, संख्यात्मक तथा कार्यात्मक में साधारण परीक्षा ली गई, जिसमें 98544 शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। 108153 महिला प्रौढ़ों में से 67771 महिला प्रौढ़ उत्तीर्ण हुई।

4.5 जिला शिक्षा बोर्ड

जिला स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाये गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने तथा विकसित करने के लिए जिला स्तर पर जिला संसाधन केन्द्रों का भी गठन किया गया है।

4.6 स्वैच्छिक संस्थाएं

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में स्वैच्छिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इन स्वैच्छिक संस्थाओं को भारत सरकार अनुदान भी देती है। वर्ष 1984-85 के दौरान निम्नलिखित संस्थाओं को अनुदान दिया गया :—

स्वैच्छिक संस्थाओं का नाम	सौंपे गए केन्द्रों की संख्या
1. जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी (महेन्द्रगढ़)	200
2. जनता कल्याण समिति, खोड़ी (महेन्द्रगढ़)	100
3. संतपाल समिति, अम्बाला कैन्ट	30
4 शिव शैक्षणिक संस्था, हरियाणा, शाहजादपुर (अम्बाला)	30
5 पी0एच0डी0 ग्रामीण विकास संस्थान लिमिटिड, दिल्ली	30
6. कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, रादौर	200
7. हरियाणा राजकीय अध्यापक भवन न्यास, जींद	80
8. विद्या महासभा कन्या गुरूकुल महाविद्यालया, खरखौदा, सोनीपत	30

इसके अतिरिक्त गुड़गांव, रोहतक, करनाल तथा भिवानी में नेहरु युवक केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा 120 तथा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा 152 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिया।

4.7 संशाधन केन्द्रों की स्थापना

प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा से सम्बन्धित साहित्यक सामग्री तैयार करने व उपलब्ध करने के लिए निदेशालय स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना की हुई है। इसी तरह जिला स्तर पर भी संसाधन केन्द्रों की स्थापना की हुई है।

4.8 श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद

वर्ष 1981–82 में हरियाणा में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रमिक विद्यापीठ फरीदाबाद की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य औद्योगिक श्रमिकों को शिक्षा देना, औद्योगिक नगर में रहन-सहन का ज्ञान देना, कोई घरेलू धन्धा सीखने यथा उद्योगों के प्रबन्ध में भागीदार होने का ज्ञान देना है।

अनौपचारिक शिक्षा

4.1 हरियाणा में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1974–75 में प्रयोगात्मक उद्देश्य से आरम्भ किया गया था। आरम्भ में 11-13 तथा 14-17 आयुवर्ग के उन बच्चों को 6वीं तथा 8वीं की परीक्षाओं के लिए तैयार करना था, जिन्होंने मध्य में ही पढ़ना छोड़ दिया था। वर्ष 1977-78 में कुछ अल्प समय स्कूल भी आरम्भ किए गए ताकि उनमें वे बच्चे पढ़ सकें जो स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते। जब राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को अक्तूबर 1978 से आरम्भ किया गया तो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम का भी पुनर्गठन किया गया तथा 2500 प्राथमिक स्तर के और 120 माध्यमिक स्तर के केन्द्र स्वीकृत किए गए। रिपोर्टाधीन अवधि में क्रियाशील केन्द्रों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र	
	प्राथमिक	माध्यमिक	प्राथमिक	माध्यमिक
1983–84	3195	—	316	—
1984–85	3329	—	92	—

4.2 रिपोर्टाधीन अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में लाभान्वित छात्रों की संख्या निम्न प्रकार रही :—

	1983–84		1984–85	
प्राथमिक स्तर	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
कुल छात्र संख्या	41546	56677	37925	64910
ग्रामीण क्षेत्र की संख्या	38659	50479	35205	58616
अनुसूचित जाति की छात्र संख्या	7820	13931	10888	21058

वर्ष 1684–85 में 0.90 लाख बच्चों की लाभ पहुंचाने का लक्ष्य था जिसके सम्मुख 1.03 लाख बच्चों को लाभ पहुंचाया गया।

4.3 वित्त व्यवस्था

वर्ष 1984–85 में अनौपचारिक शिक्षा पर निम्न अनुसार व्यय (प्रोवीजनल) किया गया :—

1. योजनेत्तर	36.81 लाख रुपये
2. योजना	11.37 लाख रुपये

4.4 छात्रों को प्रोत्साहन

रिपोर्टाधीन अवधि में सभी छात्रों को मुफ्त पाठय पुस्तकें, लेखन सामग्री तथा कार्य अनुभव के लिए सामग्री दी गई। रिपोर्टाधीन वर्ष में उन अनुसूचित जाति की छात्राओं को, जिनकी कम से कम 30 प्रतिशत उपस्थिति थी, मुफ्त वर्दियां भी दी गई। कुछ केन्द्रों को सिलाई की मशीन तथा बुनाई की मशीन भी दी गई।

4.5 मूल्यांकन

अनौपचारिक शिक्षा में दो तरह के छात्र होते हैं :

1. वे बच्चे जो बीच में ही स्कूल छोड़ जाते हैं।

2. वे बच्चे जो स्कूल में जाते ही नहीं।

पहली प्रकार के बच्चों में कुछ बच्चे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करके पुनः स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, कुछ पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं तथा उनका मूल्यांकन उप-मण्डल शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। दूसरी प्रकार के बच्चे 3/4 वर्षों की अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करके पांचवीं कक्षा की परीक्षा में बैठते हैं उन्हें उत्तीर्ण होने के लिए 25 प्रतिशत अंकों की आवश्यक्ता होती है। माध्यमिक केन्द्रों में स्कूल शिक्षा बोर्ड हरियाणा को माध्यमिक परीक्षा में बैठने के लिए बच्चों को तैयार किया जाता हैं।

वर्ष 1984–85 के दौरान 1,01,835 बच्चे प्राथमिक स्तर पर दाखिल किए गए। जिसमे से 1571 बच्चों ने पांचवीं कक्षा पास की 1,124 छात्रों को औपचारिक शिक्षा में दाखिल करवाया और 72012 छात्रों को अगली कक्षा में बैठाया गया।

4.6 प्रशासनिक व्यवस्था

मुख्यालय में अनौपचारिक शिक्षा के लिए एक पद अध्यक्ष अनौपचारिक शिक्षा का है। क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम को देखभाल जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी ही करते हैं।

अध्याय पांचवां

"शिक्षा सुधार कार्यक्रम"

शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ शिक्षा के गुणात्मक सुधारों के लिए तथा शिक्षा के स्तर को समुन्नत करने के लिए विभाग द्वारा कई प्रकार के प्रोग्राम चलाये जाते है।

5.1 शैक्षिक तकनीकी अनुभाग

शिक्षा में गुणात्मक सुधार करने, विद्यालय स्तर पर अतिरोध को कम करने, प्राथमिक स्कूल शिक्षा को अधिक प्रभावशाली तथा रोचक बनाने, अध्यापकों की शिक्षिण विधियों को नई दिशा देने तथा आवश्यक शिक्षा देने के उद्देश्य से राज्य में 1978–79 से शैक्षिक तकनीकी अनुभाग चल रहा है।

यह एक केन्द्र संचालित स्कीम है। जिस पर खर्च की जा रही धन राशि की शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसके लिए सरकार ने वर्ष 1984–85 में 1.99 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की है।

5.2 कार्य अनुभव

कार्यानुभव शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यह विषय राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में पढ़ाया जाता है। कार्य अनुभव जिसे अब समाज उपयोगी उत्पादक का कार्य कहा जाता है की नई शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग माना गया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस विषय को सभी माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनिवार्य विषय बना दिया है तथा वर्ष 1984–85 में उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इस कार्यक्रम के लिए 1.86 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त 200/- रुपये प्रति प्राईमरी स्कूल की दर से 1000 प्राईमरी स्कूलों के लिए वर्ष 1984-85 में 2.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

5.3 शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक सुविधाओं का उपलब्ध कराना

रिपोर्टाधीन अवधि में शिक्षा संस्थाओं में आवश्यक तथा भौतिक सुविधायें उपलब्ध करने के लिये विशेष पग उठाये गये हैं।

राज्य में स्कूल भवनों को अच्छी दशा में रखने के लिए सरकार विशेष ध्यान देती है। शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गये भवन निधि नियम (बिल्डिंग फण्ड रूल्ज) के अनुसार राजकीय स्कूलों में फण्ड के अन्तर्गत एकत्रित की गई राशि का 80 प्रतिशत भाग मुद्रा कोष (मनीपूल) में जमा करवाना पड़ता है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन स्कूलों के भवन पूरी तरह तैयार हैं उन्हें देखभाल के लिए लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया जाये।

राज्य के स्कूल भवनों की विशेष मुरम्मत हेतु प्लान पक्ष पर 45 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है तथा इतनी ही बराबर की राशि बिल्डिंग पूल मनी से दे दी जाति है। इन प्रकार कुल 90 लाख रुपये प्रति वर्ष इस कार्य हेतु दिए जाते हैं। इस राशि के सम्मुख वर्ष 1984-85 में सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में मुरम्मत हेतु 75 लाख रुपये की लागत के अनुमान स्वीकृत किए गए थे। जिनका निर्माण कार्य प्रगति में हैं। शेष 15 लाख रुपये की राशि पिछले शेष कार्य को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा व्यय की गई।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में 1235 प्राईमरी स्कूलों की देखभाल हेतु राज्य की 11 पंचायत समितियों को 2.50 लाख रुपये की राशि नान-प्लान बजट से स्वीकृत की गई थी।

वर्ष 1984–85 में 5 राजकीय प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों/ कमरों इत्यादि के निर्माण पर 31.43 लाख रुपये की राशि लोक निर्माण विभाग द्वारा खर्च की गई।

5.4 स्कूलों में टाट फर्नीचर तथा अन्य सुविधाएं

स्कूलों में टाट-पटटी, बिजली के पंखे और फर्नीचर की कमी को पूरा करने के लिए स्कूल छात्र निधियों की बचत से 20,000 रुपये की राशि को खर्च करने

हेतु आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने की शक्तियां जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदान की गई।

5.5 स्कूल भवन निधि में संशोधन

भवन निधि की दरों में 1-4-85 से निम्न अनुसार बढ़ौतरी की गई:—

1. कक्षा 1—5	5/- रुपये
2. कक्षा 6—8	10/- रुपये
3. कक्षा 9—11	20/- रुपये

5.6 विज्ञान प्रदर्शनी

बालकों में विज्ञान के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए उपमण्डल/जिला/राज्य स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है और वर्ष 1984-85 में भी इन्हीं स्तरों पर विज्ञान प्रदर्शनियां लगाई गई और राज्य स्तर पर उत्तम आने वाली प्रविष्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली विज्ञान प्रदर्शनी में भेजा गया।

NIEPA DC
D04499
Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No.... D-4499.....
Date.......18-11-87

अध्याय छठा

"छात्रवृतियां तथा अन्य वित्तीय सहायता"

6.1 सुपात्र एवं योग्य विद्यार्थियों को शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर शिक्षा प्राप्ति के लिए राज्य सरकार की भिन्न-भिन्न स्कीमों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हुए अनेक प्रकार की छात्रवृतियां तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को समाज कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा शिक्षा विभाग को जुटाई गई राशि में से वजीफे एवं वित्तीय सहायता दी जाती है।

6.2 स्कूलों में छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृति योजना

(क) राज्य सरकार की ओर से पांचवी कक्षा स्तरीय योग्यता छात्रवृति परीक्षा के आधार पर माध्यमिक कक्षाओं में (छठी से आठवीं कक्षा तक) 10 रुपये प्रति मास की दर से वर्ष 1984-85 में योग्यता छात्रवृतियां देने के लिए 6.16 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। वर्ष 1983-84 में भी इन छात्रवृतियों के लिए 6.16 लाख रुपये की व्यवस्था की गई

(ख) माध्यमिक परीक्षा पर आधारित योग्यता छात्रवृति 15/- रुपये मासिक प्रति छात्र की दर से वर्ष 1984-85 में ये छात्रवृतियां देने के लिए 5.46 लाख रुपये की राशि रखी गई। वर्ष 1983-84 में भी इन छात्रवृतियों के लिए 6.62 लाख रुपये व्यय किये गये।

6-3 सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणवी छात्रों की छात्रवृतियां

देश में विभिन्न सैनिक स्कूलों तथा पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा में शिक्षा

ग्रहण करने के लिए वर्ष 1984-85 में 560 हरियाणवी छात्रों को छात्रवृतियां एवं कपड़ा भत्ता के रूप में 24.42 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1983-84 में 533 हरियाणवी छात्रों पर 23.54 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

6.4 तेलगू भाषा प्रोत्साहन हेतू छात्रवृति

हरियाणा मे सातवीं कक्षा से तेलगू भाषा की शिक्षा तीसरी भाषा के रूप में दी जाती है। जो छात्र तेलगू भाषा पढ़ता है उसे 10/- रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृति दी जाती है। वर्ष 1984-85 में इस उदेश्य के लिए 37440 रुपये की व्यवस्था की गई। इतनी ही राशि की व्यवस्था वर्ष 1983-84 में की गई।

6.5 राज्य हरिजन कल्याण योजना

अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों/छात्राओं को सभी प्रकार की शैक्षणिक, व्यवसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें तथा वित्तीय सहायता दी जाती हैं। ऐसे छात्र बिना भेदभाव के राज्य के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश पा सकते हैं। नि:शुल्क शिक्षा और छात्रवृतियों के अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस योजना के अधीन नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाले हरिजन विद्यार्थियों को 20/- रुपये की दर से छात्रवृतियां दी गई। इस वर्ष ऐसे पात्र छात्रों की 2220840 रुपये की राशि से परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई। वर्ष 1983-84 से ये लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 10000 रुपये हैं। इसके पूर्व 6000/- रुपये की वार्षिक आय सीमा थी।

6.6 हरिजन छात्राओं को योग्यता छात्रवृति योजना

नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं की हरिजन छात्राओं के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए 60-60 छात्रवृतियां (180 छात्रवृतियां) दी जाती हैं। ये छात्रवृतियां नौवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में क्रमश 40/- रु0, 50/- रु0

तथा 60/- रुपये प्रति मास की दर से दी जाती है। वर्ष 1983-84 में भी इतनी ही छात्रवृतियां दी गई।

6.7 ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना

ग्रामीण क्षेत्रों के सुयोग्य बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर की परीक्षा के आधार पर राज्य की ओर से 5 छात्रवृतियां प्रति विकास खण्ड की दर से दी जाती है। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को जो छात्रवास में रहते हैं, 100/ रुपये प्रतिमास, डे-स्कालर्स जो छात्रावास में नहीं रहते हैं, श्रेणी नौवीं तथा 10वीं (30 रुपये प्रति मास और डे-स्कालर्ज श्रेणी 11वीं तथा 12वीं) को 60 रुपये प्रति मास की दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है। वर्ष 1984-85 में 2.63 लाख रुपये की व्यवस्था की गई। वर्ष 1983-84 में इस छात्रवृति के लिए 2.73 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी।

6.8 टोकन प्राईज तथा मैरिट सर्टिफिकेट

ऐसे छात्र जो मिडल/उच्च विद्यालय योग्यता छात्रवृति सूचि में आते हैं, परन्तु उनके माता-पिता (अभिभावकों) की वार्षिक आय 10000/- रुपये से अधिक होने के कारण वे योग्यता छात्रवृति के पात्र नहीं बनते, को 50 रुपये टोकन प्राईज तथा मैरिट सर्टिफिकेट दिया जाता हैं। मिडिल कक्षाओं में 100 तथा उच्च कक्षाओं में 70 टोकन प्राईज रखे गये हैं, जिनके लिए कुल 8500/- रुपये की राशि की व्यवस्था की गई थी।

अध्याय सातवां

विविध

7.1 शिक्षा स्तर अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कई प्रकार के नए अनुसंधान हो रहे हैं तथा अध्यापकों का इससे भी भली भांति परिचित होना आवश्यक है। शिक्षकों को व्यावसायिक दक्षता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है :—

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण 2. सेवाकालीन प्रशिक्षण

1. सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण

वर्ष 1984–85 में सेवाकाल से पूर्व प्रशिक्षण बन्द रहा। इस वर्ष किसी भी संस्था को जी.एड. तथा ओ.टी. प्रशिक्षण की कोई इकाई नहीं दी गई।

2. सेवाकालीन प्रशिक्षण

शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन होते सुधारों के ज्ञान के लिए अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण भी अति आवश्यक है। अतः वर्ष 1984–85 में विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ग्रीष्मावकाश में 2500 जे बी. टी. टीचरज के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया तथा इसके लिए एक लाख रुपए की राशि व्यय की गई। इसी प्रकार 950 सैकण्डरी अध्यापकों/मुख्याध्यापकों/खण्ड शिक्षा अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

7.2 भाषा नीति तथा भाषाई अल्पसंख्यक

हरियाणा एक भाषाई राज्य है और इसकी भाषा हिन्दी है। यह भाषा पहली श्रेणी से ही सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप में पढ़ते हैं। उच्च तथा उ.मा. स्तर पर भी हिन्दी शिक्षा का माध्यम है।

विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती हैं। यह छठी कक्षा से आरम्भ की जाती हैं। तीसरी भाषा में पंजाबी, संस्कृत तथा उर्दु के अतिरिक्त तेलगू की शिक्षा की सुविधा भी 34 विद्यालयों में उपलब्ध है। सातवीं और आठवीं श्रेणियों में पंजाबी, उर्दू, संस्कृत तथा तेलगू भाषा में से विद्यार्थी किसी एक भाषा का अध्ययन तीसरी भाषा के रूप में कर सकते हैं।

हरियाणा में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें अपनी भाषा का अध्ययन करने की भी विशेष सुविधा उपलब्ध है। यदि किसी प्राथमिक विद्यालय की किसी कक्षा में 10 या स्कूल में 40 से अधिक विद्यार्थी हों जो अल्प संख्या से सम्बन्ध रखते हों तो वे अपनी भाषा को additional language के रूप में पढ़ सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए सरकार ने 19 अराजकीय विद्यालयों में जिनमें हरियाणा बनने के समय शिक्षा का माध्यम पंजाबी था, पंजाबी माध्यम को आगे भी जारी रखने के लिए विशेष अनुमति दे रखी है। भाषाई अल्प संख्यकों को विशेष सुविधा प्रदान करने तथा सरकार को इस सम्बन्ध में सलाह मशविरा देने हेतु एक उच्च स्तरीय अल्प भाषाई शिक्षा समिति का गठन भी किया हुआ है।

7.3 छात्रों को पाठ्य पुस्तकें/अभ्यास पुस्तकें उपलब्ध करना

वर्ष 1984-85 में अनुसूचित जातियों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु बुक बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए 22.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन विद्यार्थियों को सस्ते मूल्य की अभ्यास पुस्तिकाएं, पाठय पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध करने हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाले सस्ते मूल्य का कागज अनुमोदित लघु औद्योगिक इकाईयों को अलाट किया जाता है ताकि वे पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिका इत्यादि तैयार करके शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें। वर्ष 1984–85 में भारत सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों के लिए 4543 टन, अभ्यास पुस्तकों के लिए 1123 टन तथा परीक्षाओं के लिए 240 टन सस्ते मूल्य का कागज अलाट किया गया था जो छापने हेतू बांटा गया।

अक्तूबर 1984 से निदेशालय में पाठ्य पुस्तक कक्ष के लिए चार विषय विशेषज्ञ एव एक आर्टिस्ट का पद स्वीकृत हो गया है ताकि पाठ्य पुस्तकों के निर्माण/समीक्षा/मुद्रण कार्य में सहायता मिल सके। चारों पदों पर बिषय विशेषज्ञ नियुक्त हो चुके हैं।

कक्षा पहली से पांचवीं की नये पाठयक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा एवं अदयतन करवाकर उनके पुन: मुद्रणादेश दिये गये हैं। पुस्तकों के द्वितीय संस्करण की प्रथम संस्करण की तुलना में अधिक रोचक बनाया गया है। किसी प्रकार की अशुद्धि पुस्तकों में नहीं रहने दी गई है।

कक्षा छठी से आठवीं के लिए जो नये पाठयक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकें विभाग द्वारा चुने गये लेखकों से लिखवाई गई थीं, उनकी समीक्षा एवं सम्पादन करवाया गया। केवल 11 नये टाईटल छपने के लिए दिये गये एवं 26 पुराने टाईटल के रिपरिंट आर्डर दिये गये। जो 25 पुस्तकें प्राईवेट मुद्रकों से मुद्रित हुई थी उनके प्रूफ भी पाठ्य पुस्तक कक्ष में कार्यरत विशेषज्ञों ने पढ़े तथा एस0 सी0 इ0 आर0 टी0 गुड़गावां तथा नियन्त्रक मुद्रण के बीच रपर्ट कायम किया। सभी पुस्तकों के रिलीज आदेश भी दिये गये।

वर्ष 1984–85 में शिक्षा संस्थाओं के पुस्तकालयों हेतु 410 पुस्तकों का विभागीय पुस्तक अनुमोदन समीति द्वारा अनुमोदित कराया गया। इन अनुमोदित पुस्तकों में से ही सर्वोन्नत विद्यालयों के लिए 5,20,500 रुपये की पुस्तकें क्रय की हैं, जो सम्बन्धित संस्थाओं को पुस्तकालयों में रखने हेतु दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपये की पुस्तकें उन शिक्षा संस्थाओं के पुस्तकालयों के लिए भी हैं जहां पुस्तकों की अत्याधिक कमी है तथा वहां पुस्तकों का भेजना आवश्यक है।

7.4 स्कूल क्रीड़ा

खेल कूद को राज्य शिक्षा संस्थाओं की शिक्षण पद्धति में उचित स्थान प्राप्त है। प्राय: खेलों पर व्यय शिक्षा संस्थाओं की मिश्रित निधि में किया जाता है। वर्ष 1984-85 में हरियाणा राज्य के स्कूल विद्यार्थियों के लिए भी सभी 16 खेलों की प्रतियोगिताएं गुड़गावां, अम्बाला तथा अन्य स्थानों पर करवाई गईं। मिडल कक्षा के खिलाड़ियों की खेलों का आयोजन करनाल और प्राईमरी कक्षा के खिलाड़ियों के लिए कुरुक्षेत्र में किया गया।

राष्ट्रीय स्तर पर की गई सभी खेल प्रतियोगिताओं में हरियाणा राज्य के चुने हुए खिलाड़ियों/टीमों को भाग लेने के लिए भोपाल, त्रिवेन्द्रम, एजोल, गोहाटी, लखनऊ तथा देहली में भेजा गया। कुल मिलाकर 366 लड़के तथा लड़कियों को राज्य स्तर पर विद्यालयों की टीमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया जिनमें से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कुल मिलाकर 34 खिलाड़ियों ने पदक जीते। पहली बार हरियाणा राज्य की मलयुद्ध टीम राष्ट्रीय स्तर पर त्रिवेन्द्रम के खेलों में विजेता घोषित की गई। वर्ष 1984-85 में फरीदाबाद स्कूल के विद्यार्थी श्री विजय यादव को भारतीय स्कूल क्रिकेट टीम के लिए वैस्टइन्डीज की टीम के विरुद्ध खेलने हेतु चुना गया।

7.5 रैडक्रास

रैडक्रास संस्था समाज में रोगियों, अंगहीनों, घायलों और निर्धनों की सहायता में महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। संस्था के लक्ष्य एवं उद्देश्यों को छात्रों में सर्व प्रिय बनाने के लिए राज्य में जिला स्तर पर जूनियर रैडक्रास संस्थायें स्थापित की हुई हैं। राज्य के प्रत्येक विद्यालय के विद्यार्थी जूनियर रैडक्रास के सदस्य होते हैं। वर्ष 1984-85 में 7785 ग्रुप रैडक्रास संस्था द्वारा रजिस्टर्ड किये गये हैं और लगभग 1808562 जे0 आर0 सी0 के सदस्य बने। इन सदस्यों से 5 पैसे से 50 पैसे प्रतिमास सदस्यता के तौर पर लिये जाते हैं। एकत्रित रैडक्रास फण्ड की 50% राशि गरीब तथा आवश्यकता ग्रस्त विद्यार्थियों की फीस माफ, वर्दियां, जूतों एवं दवाईयों इत्यादि पर खर्च की जाती है। शेष राशि विद्यालयों में पीने के पानी और सफाई इत्यादि आवश्कताओं पर खर्च की जाती है। पिछले वर्ष प्रत्येक जिले में 10 मॉडल स्कूल चुने गये थे। इन विद्यालयों में जे0 आर0 सी0 कार्यक्रम को चलाने के लिए कई विकास योजनायें, चलाई हुई हैं। वर्ष 1984-85 में संस्था द्वारा तारा देवी (शिमला) में जे0 आर0 सी0 ट्रेनिंग कैम्प का आयोजन किया गया। हरियाणा राज्य के स्कूलों से 11 पुरुष 6 महिला काउन्सलज तथा 53 लड़के जूनियर तथा 31 लड़कियां जूनियर ने भाग लिया।

7.6 भारत स्काउट्स एवं गाईड्ज

राज्य की शिक्षा संस्थाओं में स्काउट्स एवं गाईडज आन्दोलन छात्रों में भ्रातृ-

प्रेम, नेतृत्व की भावना तथा जनजाति की सेवा करने के भाव उत्पन्न करने के लिए चलाया जा रहा है । यह कार्य भारत स्काउट्स एवं गाईड्ज ऐसोसियेशन की हरियाणा शाखा के संरक्षण में चल रहा है। वर्ष 1984-85 में राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को 1 89 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए गए ।

1984-85 में हरियाणा भारत स्काउट्स एवं गाईड्ज एसोसियेशन द्वारा प्रैजीडैन्ट स्काउट्स तैयार करने के लिए कैम्प लगाया गया। इसमें 522 स्काउट्स तथा स्काऊटरज ने भाग लिया । 7 फर्स्ट क्लास स्काउट्स ट्रेनिंग कैम्प लगाए गए, जिसमें 511 स्काउट्स तथा 474 कब्ज गाईड्ज तथा बुलबलों ने भाग लिया । राज्य स्तर पर गाईड्ज के 7 शिविरों का आयोजन किया गया उसमें 403 ने भाग लिया। राज्य स्तर पर पैक (Fack) लीडर का कैम्प लगाया जिसमें 57 अध्यापकों ने भाग लिया।

7.7 राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान

अध्यापक कल्याण योजना के अन्तर्गत उन अध्यापकों/अध्यापिकाओं और उनके आश्रितों को जो विपदा स्थिति में हों, आर्थिक सहायता दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा दिवस पर झण्डा चन्दा के रूप में राशि एकत्रित की जाती है और इस राशि में से प्रतिष्ठान मृतक अध्यापकों के दाह संस्कार, सेवा निवृत अध्यापकों को उनकी लड़कियों की शादी पर तथा उनकी लम्बे समय की बिमारी पर भी सहायता देता हैं। कार्यरत अध्यापकों को उनकी बिमारी तथा उनके बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी सहायक है। वर्ष 1984-85 में इस योजना के अन्तर्गत 535648 रुपये की सहायता दी गई। 29720 रुपये की राशि शिक्षकों के बच्चों की मैट्रिक के पश्चात् शिक्षा पाने के लिए छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है।

7.8 अध्यापक पुरस्कार

वर्ष 1984-85 में हरियाणा राज्य के दो प्राईमरी तथा दो सैकण्डरी शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राईमरी शिक्षकों के नाम हैं। (1) श्रीमती संतोष कुमारी, (2) श्रीमती शांति देवी और सैकण्डरी शिक्षकों के नाम हैं। (1) श्री नन्द किशोर गुप्त (2) श्री आर0 एस0 यादव।

7.9 अध्यापकों की सेवायें नियमित करना

वर्ष 1984-85 में सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन तदर्थ शिक्षकों की दिनांक 15–9–82 को दो वर्ष की तदर्थ सेवा पूरी हो गई है और वे दिनांक 15-9-82 को सेवा में थे उनकी सेवाएं नियमित कर दी जाएं। इस निर्णय के अन्तर्गत लगभग पांच हजार तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया गया।

7.10 हरियाणा साहित्य अकादमी

राज्य सरकार द्वारा एक हरियाणा साहित्य अकादमी का भी गठन किया गया है। यह संस्था (एक) राज्य में साहित्यक स्तर को उन्नत करती है, सभी भाषाओं की साहित्यक गतिविधियों को प्रोत्साहित और सांस्कृतिक परम्पराओं में अनुसंधान को बढ़ावा देती है (दूसरा) हिन्दी भाषा में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार कराने के लिए मार्गदर्शन और नीति निर्धारित करती है।

(1) साहित्य विकास प्रभाग

रिपोर्टाधीन अवधि में एक हिन्दी एकांकी संकलन, एक हिन्दी कविता संकलन और एक पंजाबी संकलन का प्रकाशन किया गया। राज्य में साहित्यक वातावरण उत्पन्न करने के लिए लेखक, गोष्ठियों/साहित्यक उत्सवों का आयोजन किया जाता है ताकि लेखक/आलोचक एक मंच पर एकत्रित हो सकें तथा विचार विनिमय कर सके। संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में एक संस्कृत लेखक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें दो शोध निबन्ध प्रस्तुत किए गए तथा इन पर चर्चा/परिचर्चा की गई। (क) पाणिनिकृत भाषाओं के क्षेत्रीय वर्गीकरण का विवेचन (ख) वेदों में अग्निमंथन तथा अग्नि प्रदीपन के संदर्भ और उनका अभिप्राय एक प्रयालोचन। इस गोष्ठी में लगभग 100 विद्वानों मे भाग लिया। हिन्दी लेखक गोष्ठियों का आयोजन किया गया, इस अवसर पर पुस्तक प्रतियोगिता और हिन्दी कहानी प्रतियोगिता वर्ष 1983-84 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। गोष्ठी में तीन शोध निबन्ध प्रस्तुत किए गए और उन पर चर्चा-परिचर्चा की गई। एक पंजाबी लेखक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता डा0 टी0 एस0 कंवर, अध्यक्ष पंजाबी विभाग कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने की तथा इसमें डा0 ईश्वर सिंह तांघ ने अपना "सिख साहित्य विच मानवीय

एकता की भावना" शीर्षक शोध निबन्ध प्रस्तुत किया। गोष्ठी में राज्य भर से आमन्त्रित विद्वानों ने भाग लिया। एक हरियाणवी लेखक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें श्री राजाराम शास्त्री ने हरियाणवी भाषा और साहित्य पर अपना शोध निबन्ध प्रस्तुत किया। इस गोष्ठी में राज्यभर से 150 लेखकों ने भाग लिया और अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के उपलक्ष्य में एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देशभर के प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी। राज्य में साहित्यिक वातावरण पैदा करने के लिए स्वयं सेवी साहित्यिक संस्थाओं को साहित्यिक आयोजनों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि में 7 ऐसे साहित्यिक आयोजनों के लिए 9475 रुपये की राशि स्वीकृत की गई। हरियाणा के लेखकों को उनकी अप्रकाशित पुस्तकों के प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रत्येक पुस्तक के लिए प्रकाशन के 2000/- रुपये या प्रकाशन व्यय का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, के बराबर राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई तथा इनके लेखकों को 48640/- रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी गई। राज्य के लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए हिन्दी, हरियाणवी, उर्दू, पंजाबी तथा संस्कृत में पुस्तक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 16 पुस्तकों के लेखकों को 16000/– रुपये के पुरस्कार दिए गए। हिन्दी कहानी प्रतियोगिता के अन्तर्गत 31 विजेताओं को 1000/- रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई। राज्य के लेखकों का अन्य राज्य के लेखकों के साथ सम्पर्क बनाने के लिए अकादमी द्वारा भारत के विभिन्न प्रदेशों में आयोजित साहित्यिक सम्मेलनों में राज्य के लेखकों के शिष्ट मण्डल भेजने की योजना बनाई है। दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में दो सदस्यों का एक शिष्टमण्डल भेजा गया। हरियाणा साहित्य अकादमी Haryana Sahitya Academy Journal Idological Studies के नाम से एक नयी शोध-पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ किया जा रहा है। इसके लिए प्रथम अंक के लिए देश-विदेश से विद्वानों के लेख प्राप्त हुए है। यह सामग्री मुद्रण के लिए प्रैस में भेजी है। अकादमी द्वारा हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी तथा हरियाणा साहित्य के साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए प्रत्येक सम्मानित साहित्यकार को 3100/- रुपये की राशि, उत्तरीय तथा सरस्वती की प्रतिमा भेंट की जाती है। वर्ष 1984-85 में साहित्यकारों के अभिनन्दन के लिए साहित्यकारों

का चयन नहीं हो सका। राज्य के अभावग्रस्त लेखकों को सहायता अनुदान देने की एक योजना आरम्भ की गई।

(2) ग्रंथ अकादमी प्रभाग

रिपोर्टाधीन अवधि में ग्रंथ अकादमी प्रभाग द्वारा निम्नलिखित 7 मूल पुस्तकें प्रकाशित की गई :—

1. बनस्पति विज्ञान परिभाषा कोष–5
2. दुग्ध उत्पादन एक विवेचन
3. सामान्य वाक विकार
4. आलू उत्पादन एवं विकास
5. रोगियों की आहारिकी
6. संज्ञाहरण में तकनीकी सहायता
7. कर्ण, नासा और कंठ के सामान्य रोग।

इनके अतिरिक्त 14 पुस्तकों के द्वितीय/तृतीय संस्करण प्रकाशित किए गए। इस समय 4 पुस्तकों के प्रथम संस्करण तथा 6 पुस्तकों के दूसरे/तीसरे/चौथे संस्करण मुद्रणाधीन हैं और आठ पाण्डुलिपियों का संपादन किया जा रहा है।

वर्ष 1984–85 के दौरान 179310 रुपए के ग्रास मुल्य की पुस्तकों की बिक्री की गई।

7.11 कम्प्यूटर लिटरेसी

भारत सरकार द्वारा कम्प्यूटर लिटरेसी के अन्तर्गत हरियाणा राज्य में कम्प्यूटर लिटरेसी के लिए निम्नलिखत 5 विद्यालय चुने गए हैं :

1. राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, अम्बाला शहर।

2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहबाद (कुरुक्षेत्र)

3. केन्द्रीय विद्यालय न. 1, अम्बाला

4. केन्द्रीय विद्यालय न. 2 अम्बाला कैन्ट

5. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुरुक्षेत्र

इन विद्यालयों के 3–3 प्राध्यापकों को कम्प्यूटर लिटरेसी में प्रशिक्षण दिलवाया गया तथा भारत सरकार द्वारा इन 5 विद्यालयों में परियोजना से सम्बन्धित आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई हैं।

18499—D.P.I.—H.G.P., Chd.

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,Sri Aurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No. D-4497
Date 18-11-81